न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-132RAAJodhpur2023-66RTA225 Mataram Vs Khartaram etc

मटाराम पुत्र श्री चौलाराम जाति जाट, निवासी— ग्राम लोरड़ी देजगरा, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. खरताराम पुत्र श्री चुतराराम, जाति जाट, निवासी— ग्राम लोरड़ी देजगरा, तहसील व जिला जोधपुर।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार जोधपुर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 16 जनवरी 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, (उत्तर) जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2019 खरताराम बनाम मटाराम इत्यादि

उपस्थित—

श्री अजीत दैया, अधिवक्ता—अपीलाण्ट

श्री राकेश मटीरिया, अधिवक्ता—रेस्पोडेंट संख्या एक

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता—रेस्पो. संख्या 2

नि र्ण य

दिनांक : 28 नवंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2019 खरताराम बनाम मटाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 16 जनवरी 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 28 मार्च 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 138 रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा ग्राम लोरड़ी देजगरा में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 137 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा में सें प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए,बी,सी,डी रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 जनवरी 2023 के जरिये रेस्पोडेंट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 137 में सें कोई रास्ता नहीं चलता है तो पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है तथा न ही मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध है जो देजगरा से जानादेसर जाने वाली सड़क से मिलता है। रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु उसके भाई के खेत खसरा नं. 135 व 144 में व उनकी रहवासीय ढाणियों में जाने के लिए पूर्व से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। जो लोरड़ी से जानादेसर जाने वाली सड़क व चौराहा जो कि एक रास्ता हेमनगर जोलीयाली की ओर जाता है और एक रास्ता ग्राम कराणी से होकर झंवर की ओर जाता है, उस चौराहे से आधा किलोमीटर की दूरी से एक रास्ता 15 फीट चौड़ाई का मुख्य सड़क से लेकर ओरण होते हुए कुछ जमीन जवलिया विश्नोई के खेत में होकर प्रत्यर्थी एवं उसके भाई के खेत तक रास्ता मौके पर मौजूद है तथा रेस्पोडेंट उक्त रास्ते से ही आवागमन करता है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए काननून पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट गरीब, अनपढ किसान है तथा अपने स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से पीड़ित होने से घर से ज्यादा बाहर नहीं निकल पाता है, जिस कारण प्रार्थी अपने अधिवक्ता से भी समय पर सम्पर्क नहीं कर पाया। हाल ही में रेस्पोडेंट्स द्वारा जबरन अपीलांट के खेत की माठ तोड़ने पर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सम्पर्क कर जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपीलांट को अपील पेश करने में हुई देरी क्षमा योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 जनवरी 2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां कि अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले तकनीकी आधार के बजाय गुणावगुण पर निस्तारण हेतु न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक व द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 138 में आवागमन हेतु अपीलांट के खेत खसरा नं. 137 की सीमा के सहारे–सहारे रास्ता चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द दिनांक 18.03.2020 में रास्ते के दो विकल्प बताये गये है, जिसमें चाहे गये अपीलाधीन रास्ते की लंबाई 162 गट्ठा तथा द्वितीय रास्ते की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर बतायी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब उक्त मौका फर्द अपीलांट की उपस्थिति में तैयार की गई है, जिस पर अपीलांट चुनाराम के हस्ताक्षर मौजूद है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुरूप निकटतम एवं लघुतम अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

अपीलांट का उज्र है कि रेस्पोडेंट्स के लिए मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हैं, किंतु इस संबंध में राजस्व अभिलेख मौका फर्द के अवलोकन मुताबिक अपीलांट द्वारा बताया गया रास्ता अत्यधिक लंबा है तथा इसका राजस्व रेकर्ड अंकन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उज्र मानने योग्य नहीं है। विचारण द्वारा तलब

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मौका फर्द के आधार रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्तो की जांच लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 जनवरी 2023 यथावत रखा जाता है

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर